न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़(राज.)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/9/18 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी ... है। अतः पत्रावली पूर्व ... अनुसार दिनांक ... 25/10/18 ... पेश हो। आज्ञा से रीडर 25/10/18 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी उपस्थित। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस विद्वान अभिभाषक गण उभयपक्षकारान पर गौर किया तथा प्रार्थना-पत्र के गुणावगुण पर मनन किया गया जिससे जाहिर हुआ कि प्रार्थना-पत्र खारिज योग्य है अतः प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ नत्थी हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] 25/10/18	

निर्णय बाइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी,छोटीसादड़ी (राज.)

प्रकरण : 32/18

दायर तारीख 03.07.2018

उनवान

1. ओमप्रकाश पिता दत्तक पुत्र हरलाल जटिया जाट आयु वयस्क निवासी सुबी त. छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़

प्रार्थी

बनाम

1. जसोदा बाई पुत्री हरलाल पत्नी प्रेमचन्द जाट आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी हा.मु. मोरवन त. जावद तहसील जावद जिला नीमच (म.प्र.)
2. चम्पाबाई पुत्री मगनलाल पत्नी मानसिंह जाट आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी हा.मु. नानपुरिया त. जावद जिला नीमच (म.प्र.)
3. सुमनबाई पुत्री खेमराज जाति जाट आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी रामपुरा पंचायत उखलियां जिला चित्तौडगढ़
4. रामनिवास पिता मेघराज जाट आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी सुबी त. छोटीसादड़ी (राज.)
5. दिनेश पिता रामचन्द्र जाट आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी सुबी त. छोटीसादड़ी (राज.)
6. संतोषबाई पिता रामलाल पत्नी षिवनारायण जाति जाट आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी कुण्डाला त. जावद जिला नीमच (म.प्र.)
7. राजुबाई पिता रामलाल पत्नी धर्मसिंह जाति जाट आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी हा.मु. रूपजी का खेड़ा त. निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
8. शान्तिबाई पिता रामलाल पत्नी कन्हैयालाल जाति जाट आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी जलोदिया केलुखेड़ा
9. इंद्राबाई पत्नी घमण्डीराम जाति जाट आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी सुबी त. छोटीसादड़ी (राज.)
10. शंकरलाल पिता घमण्डीराम जाति जाट आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी सुबी त. छोटीसादड़ी राज.
11. दिनेशचन्द्र पिता रामलाल जाति जाट आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी सुबी त. छोटीसादड़ी (राज.)
12. रामनिवास पिता मेघराज जाति जाट आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी सुबी त. छोटीसादड़ी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी

13. जानीबाई पत्नी मेघराज जाति जाट आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी सुबी त. छोटीसादड़ी (राज.)
14. चतरभुज पिता चुन्नीलाल जाति जाट आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी सुबी त. छोटीसादड़ी (राज.)
15. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार छोटीसादड़ी राजस्थान ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अपतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट 1955

उपस्थिति

विद्वान अभिभाषक
1. श्री संजय खिमेसरा (प्रार्थीगण)
2. श्री बाबुलाल पालीवाल (अप्रार्थीगण क.1 व 3)

संक्षेप मे प्रार्थना पत्र के तथ्य निम्न प्रकार है :– अ– मोजा सूबी खाता सं. 117 के अराजी नं. 112/1349 रकबा 0.41 है. आराजी नं. 186/1350 रकबा 0.10 हे. आराजी नं. 203/1351 रकबा 0.01 है. आराजी नं. 213/1352 रकबा 0.04 हे. आराजी नं. 232/1353 रकबा 0.13 हे. आराजी नं. 635/1354 रकबा 0.11 हे. आराजी नं. 636/1348 रकबा 0.14 हे. आराजी नं. 775/1355 रकबा 0.03 हे. आराजी नं. 785/1356 रकबा 0.47 हे. आराजी नं.1140/1357 रकबा 0.05 हे. कुल किता 10कुल रकबा 1.49 हे स्थित है।

ब– मौजा सुबी के खाता सं. 36 में आराजी नं. 185 रकबा 0.03 हे. आराजी नं. 643 रकबा 0.08 हे. आराजी नं.644 रकबा 0.06हे. आराजी नं.928 रकबा 0.06 हे. कुल किता 4 कुल रकबा 0.23 हे. स्थित है।

स– मौजा सुबी के खाता सं. 35 के आराजी नं. 112 रकबा 2.06 हे. आराजी नं.186 रकबा 0.48हे. आराजी नं. 203 रकबा 0.08हे. आराजी नं.213 रकबा 0.23हे. आराजी नं.232 रकबा 0.66हे. आराजी नं.635 रकबा 0.53 हे. आराजी नं. 636 रकबा 0.14हे. आराजी नं. 775 रकबा 0.19 हे. आराजी नं.785 रकबा 2.23 हे. आराजी नं. 1140 रकबा 0.25हे. कुल किता 10 कुल रकबा 6.85 हे स्थित है ।

द– मौजा सेजखेडी के खाता सं. 5 मे आराजी नं. 51 रकबा 0.24हे. आराजी नं. 52 रकबा 1.48 हे. आराजी नं.53 रकबा 0.02हे. आराजी नं.54 रकबा 0.02हे आराजी नं.55 रकबा 1.65हे. कुल किता 5 कुल रकबा 3.41 हे. स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी

य– मौजा सेजखेडी के खाता सं. 22 में आराजी नं. 19/110 रकबा 0.06 हे. आराजी नं. 29./111 रकबा 0.57 हे. कुल किता 2 कुल रकबा 0.63 हे. स्थित है।

र– मौजा सेजखेडी के खाता सं. 9 मे आराजी नं. 19/185 रकबा 0.11 हे. आराजी नं.29 रकबा 1.15 हे. कुल किता 2 कुल रकबा 1.26 हे. स्थित है।

ल– मौजा देवखेडा के खाता संख्या 60 में आराजी नं. 378/507 रकबा 0.13 हें. आराजी नं. 379/509 रकबा 0.15 हे. आराजी नं.380/508 रकबा 0.14 हे. कुल किता 3 कुल रकबा 0. 42 हे. स्थित है।

व– मौजा देवखेडा के खाता संख्या 19 आराजी नं.378 रकबा 0.62हे. आराजी नं.379/449 रकबा 0.15 हे. आराजी नं. 380 रकबा 0.70 हे. कुल किता 3 कुल रकबा 1.47 हे. स्थित है ।

प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे होकर सुविधा संतुलन व अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष मे है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर योग्य अधिपक्ता प्रार्थीगण की विशेष इस्तदुआपर एक तरफा बहस 03.07.2018 को सुनी जाकर उक्त वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण 1लगायत 15 को जरिये अन्तरिम निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाकर पत्रावली को वास्ते जवाब अप्रार्थीगणो के 13.08.2018 को रखी गई।

दिनांक 13.08.2018 को विद्वान अभिभाषक उभय प्रक्षकारान उपस्थित आये अप्रार्थीगण 1 व 3 की ओर से जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। शेष अप्रार्थीगण इन्तजारे तलबी व अप्रार्थी सं. 5 के कायम मुकमान हेतु पत्रावली दिनांक 21.08.2018 को रखी गई । 21. 08.2018 को उभय प्रक्षकारान ने उपस्थित होकर साबिका आदेश की पालना हेतु अवसर चाहा जो दिया जाकर पत्रावली 23.08.2018 को रखी गई दिनांक 23.08.2018 को योग्य अभिभाषक उभय पक्षकारान उपस्थित हुएं तथा पत्रावली मूलवाद 315/09 को तलब करने एवं बहस हेतु अवसर चाहा। जो दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 18.09.2018 को रखी गई ।

आज दिनांक 18.09.2018 को पत्रावली मय मूलवाद तलब कर बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान सुनी गई एवं वास्ते आदेश दिनांक 27.09.2018 मुकर्रर की गई ।

दौराने बहस योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुए निवेदन किया की विवादित आराजी का विधिवत वटवारा नही हुआ है जिसकी अध्यतन जमाबन्दी भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा की तीनो शर्ते पुरी करता है । अतः अन्तरिम निषेधाज्ञा को ताफैसला मूलवाद कन्फर्म किया जावे।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1 व 3 ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहराते हुए निवेदन कीया की खाता सं. 17 की खसरा नं. 19/110, 29/111 तथा खाता सं. 60 की खसरा नं. 378/507, 379/509, 380/508 की खातेदार अप्रार्थी सं. 3 स्वयं है।

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी

अतः इस आराजी पर अन्तरिम निषेधाज्ञा दिया जाना उचित नही है। साथ ही प्रार्थना पत्र के बिन्दु सं.3 से स्पष्ट है कि प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष मे नही है। मूल वाद 315/09 मे प्रार्थी ओम प्रकाश स्वयं ने लोक अदालत मे उपस्थित होकर बटवारा प्रस्ताव की सहमति मे हस्ताक्षर किये थे। जिसमे ओम प्रकाश स्वयं प्रतिवादी था अतः माननीय न्यायालय से गुजारिश है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा विद्वान अधिपक्तागण उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया जिससे यह जाहिर हुआ की प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मे वादग्रस्त आराजी खाता सं. 17 व खाता सं. 60 के पांचो खसरा नं. अप्रार्थीया सं. 1 की निजि खातेदारी की है तथा अन्य वादग्रस्त आराजी मे भी अप्रार्थीगणो को अन्तरिम निषेधाज्ञा मिलने के बाद सम्मन मय प्रार्थना पत्र की प्रति की तलबी आदिनांक तक नही करवाई गयी और न ही अप्रार्थी सं. 5 कायम मुकम्मान पेश किये गये जबकि न्यायालय द्वारा इस हेतु अवसर प्रदान किये गये। फिर भी प्रार्थीगण की ओर से इस संबंध में कोई कार्यवाही नही की गई जो कि नैसर्गिक न्याय मे सिद्धान्त के विपरीत है।

अतः न्यायालय के सुविचारित मत मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों एवं बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान पर गौर एवं गुणावगुण के आधार पर खारिज योग्य हैं। अतः प्रार्थना प्रत्र खारिज किया जाता हैं।

पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम की जाकर मुलवाद के साथ नत्थी की जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

25/X/18

प्रकाश चन्द्र रेगर (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी
जिला प्रतापगढ।

उपखण्ड अधिकारी छोटीसादड़ी — प्रतापगढ़